

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक— प.3(313)नविवि / 3 / 2011

जयपुर, दिनांक 11.1 JUN 2020

आदेश

दिनांक 17.06.1999 से पूर्व तथा 17.06.1999 के पश्चात् कृषि भूमि पर वसी कॉलोनियों के भूखण्डों के नियमन हेतु अपंजीकृत दस्तावेजों के निष्पादन की कट ऑफ डेट बढ़ाने के आदेश दिनांक 11.02.2020 जारी किए गए थे, परन्तु इस आदेश का अभी तक व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं होने एवं आम नागरिकों को इसकी जानकारी के अभाव में उचित संख्या में पट्टे जारी नहीं किए जा सके हैं।

एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए जोनल ड्वलपमेंट प्लान तैयार करना आवश्यक नहीं है एवं जिन कॉलोनियों के ले-आउट प्लान स्वीकृत हैं, उनको जोनल ड्वलपमेंट प्लान में समायोजित ही किया जाना है, इसलिए स्वीकृत ले-आउट प्लान वाली योजनाओं में पट्टे देने की कार्यवाही बिना जोनल प्लान अनुमोदन के की जा सकती है।

इस संबंध में विभागीय आदेश दिनांक 11.02.2020 की व्यापक प्रचार-प्रसार करने के साथ ही ऑफलाईन/ऑन लाईन जैसी भी व्यवस्था हो, के माध्यम से अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर पट्टे देने की कार्यवाही संबंधित निकायों द्वारा की जायेगी।

इस संबंध में किये जाने वाले कार्य की सम्पूर्ण जानकारी एवं प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप "क" में संबंधित निकाय द्वारा प्रेषित की जावे।

उक्त आदेश विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

म/व
(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त, राजस्थान।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

एक लाख आबादी तक के निकायों में कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व व पश्चात् की बसी हुई/सृजित कॉलोनियां, गृह निर्माण समिति की कॉलोनियां, जिनका स्वप्रेरणा से ले—आउट प्लन तैयार किया गया है अथवा भूखण्डधारी/गृह निर्माण समिति द्वारा ले—आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है, का विवरण:—

(सारणी— 3—ए)

(एक लाख तक आबादी वाले निकाय)

तैयार/प्रस्तुत किये गये ले—आउट प्लान की कुल संख्या	प्रस्तुत/तैयार किये गये ले आउट प्लान के अनुसार भूखण्डों की कुल संख्या	मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञेय योग्य ले—आउट प्लानों की कुल संख्या	मास्टर प्लान के अनुसार अनुज्ञेय योग्य नहीं है, उन ले—आउट प्लानों की कुल संख्या

नोट:— योजना वाइज विवरण अलग से संलग्न करें।

एक लाख आबादी तक के निकायों में कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व व पश्चात् की बसी हुई/सृजित कॉलोनियां, गृह निर्माण समिति की कॉलोनियां, जिनका स्वप्रेरणा से ले—आउट प्लन तैयार नहीं किया गया है अथवा भूखण्डधारी/गृह निर्माण समिति द्वारा ले—आउट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है (ले आउट प्रस्तुती से शेष योजनाएं) का विवरण:—

(सारणी— 3—बी)

(एक लाख तक आबादी वाले निकाय)

योजनाओं की संख्या	अनुमानित भूखण्डों की संख्या	विशेष विवरण मास्टर प्लान के संबंध में

नोट:— योजना वाइज विवरण अलग से संलग्न करें।

af